

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला-ओ.पी.ए.सी.बी. नागौर, थाना-प्रधान आरक्षी केंद्र, अं० नि० ५० जयपुर। वर्ष-2022 पं०३०रि० स. दिनांक. 2/6/2022

1. (I) अधिनियम :- धारा 7, 7ए अख्तियार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018

(II) अधिनियम ..... धारा 120बी

(III) अधिनियम ..... धारा ५

(IV) अन्य अधिनियम एवं धारा ५ ..... धारा ५

3. (अ) राजनामचा आम रपट संख्या ..... समय 5-10 PM

(ब) अपराध घटने का दिन-बुधवार, दिनांक 01.06.2022 समय 06.20 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ... 30.05.2022 समय 06.15 पी.एम.

4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक - टाईपसुदा (लिखित)

5. घटनास्थल :- गांधी चौक नागौर, जिला नागौर।

(अ) पुलिस थाना से दशा व दूरी :- बजानिब उत्तर करीब 1.5 कि.मी.

(ब) बीट संख्या ..... जयसमदेही स.

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो जिला

6. (I) परिवादी :- पुलिस थाना

(अ) नाम - श्री मोहम्मद इमरान

(ब) पिता/पति का नाम- श्री मोहम्मद युसुफ

(स) जन्म तिथि- उम्र - 34 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता - भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि

(र) व्यवसाय - मजदूरी

(ल) पता - माही दरवाजा, नागौर, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर।

7. डाल/अडाल सद्विषय अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विहिदाख्या सहित :-

1. श्री हरनारायण पुत्र श्री नथमल गौड़, जालि ब्राह्मण उम्र 39 वर्ष निवासी गोपीनाथ मंदिर के पास, विन्डकावाड़ी, पुलिस थाना कोतवाली नागौर जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद, नागौर।

2. श्री गुलामुद्दीन पुत्र श्री हाफीज लाल मोहम्मद, जालि मुसलमान, उम्र 69 साल, निवासी पीपवडूडी बस्ती, अजमेरी गेट के पास, नागौर, जिला नागौर (दलाल)।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतना देने में विलम्ब का कारण :-

9. घुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विहिदाख्या (यदि उपलब्ध हो तो अतिरिक्त पन्ना

लगाये)

10. घुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य - 35,000/- रुपये रिखत राशि

11. पचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इतिहास रिपोर्ट (अगर उपलब्ध हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):-

संवाह,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  
अख्तियार निरोधक ब्यूरो चौकी नागौर।

विषय :- नगर परिषद नागौर के बाहु हरनारायण गौड़ को रिखत लेते हुए पकड़वाने बाबत।

2/6/2022



ਸਤਿਨਾਮੁ

ഇലിനി പ്രിൻസിപ്പൽ

दिनांक :- 30.05.2022

निवेदन है कि मैं मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद युसुफ जाति मुसलमान उम्र 34 साल निवासी माही दरवाजा नागौर का रहने वाला हूँ। मेरी ताईजी जमश्रीदा बानो के नाम से नगर परिषद नागौर में पट्टा बनवाने हेतु पञ्चावली संख्या 1412 जमा करवाई थी। मेरे ताईजी ने मुझे बोला कि पुं मेरा नगर परिषद से पट्टा बनवा दूं, मैं वृद्ध अवस्था में हूँ तथा बिमार रहती हूँ। तब मैंने नगर परिषद नागौर में जाकर बांधू हरनारायण से भिला तो मुझे कहा कि पट्टा बनवाने के लिए पचास हजार रुपये देने पड़ेंगे नहीं देगा तो पट्टा नहीं बनेगा। यह रुपये बेयरमैन व आयुक्त को भी उपर तक देने पड़ते हैं। मैंने घर जाकर ताईजी को बताया तो कहा कि पचास हजार रुपये रिश्वत के नहीं देने है। रिश्वत लेते हुए को पकड़वा दें। मैं मेरे ताईजी के बाजिब काम के बदले रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ। रिश्वत लेते हुए को मैं हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। मेरा हरनारायण बांधू से कोई उधार लेना-देना नहीं है ना ही कोई रजिष्ट्र है। कानूनी कार्रवाई करें।



Signature

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	दो हजार रुपये का एक नोट	8GF 695118
2	दो हजार रुपये का एक नोट	4FA 995492
3	दो हजार रुपये का एक नोट	3ED 396068
4	दो हजार रुपये का एक नोट	3CG 353327
5	दो हजार रुपये का एक नोट	8CF 590268
6	दो हजार रुपये का एक नोट	3FC 917802
7	दो हजार रुपये का एक नोट	0BV 970345
8	दो हजार रुपये का एक नोट	2AC 266530
9	दो हजार रुपये का एक नोट	8GH 205472
10	दो हजार रुपये का एक नोट	7FH 886569

जिनका विवरण इस प्रकार है :-

संबंध में बातचीत की तो हरनारायण बाबू ने मेरे से मेरी तार्जिनी जमशेदी बानो के नाम से पट्टा बनवाने के एवज में 35000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। श्री हरनारायण बाबू से रुपये देने के बारे में पूछा तो कहा की कल मुझे फोन करके रुपये लेकर आ जाना व मैं बत्ता दूंगा जिसको देने है। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर आपके हैड कार्नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह को टेप रिकॉर्डर बन्द करके दे दिया। इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर कार्यालय एसीबी नागौर आ गये। श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कार्नि. ने परिवारी के उपरोक्त कथनों की ताईद की। जिस पर बाँयस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन की ताईद की। रिश्वत होना पाया गया। जिस पर परिवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 35,000 रुपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 31.05.2022 को सुबह 10.00 ए.एम. पर इस कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर रुखसत किया गया। दिनांक 31.05.2022 को परिवारी श्री मोहम्मद इमरान रिश्वत राशि 35,000 रुपये लेकर कार्यालय में उपस्थित आया, जिस पर श्री कुमरदान कानि0 नं0 194 को दो स्वतन्त्र गावाहों की तलबी है। कार्यालय सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (आसीएन) नागौर के नाम की तहसिल देकर रवाना किया गया। कुछ समय बाद श्री कुमरदान कानि0 नम्बर 194 मय दो स्वतन्त्र गावाहन श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह जालि राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी भदगा बाना पुलिस थाना सदर नागौर जिला नागौर, हाल तकनिकी सहायक व श्री हरिनाम पुत्र श्री मंगलराम जालि भदवाल उम्र 32 वर्ष निवासी मालगांव पुलिस थाना सदर नागौर, हाल तकनिकी सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता एबीएनएल (आसीएन) नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवारी व स्वतन्त्र गावाहन का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवारी द्वारा प्रस्तुत सिफ्ट गावाहन श्री दिलीप सिंह तकनिकी सहायक व श्री हरिनाम तकनिकी सहायक को पढकर सुनाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन की दृष्टि वाली को बाँयस रिकॉर्डर चालू कर मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर उन्होंने सन्विष्ट होकर स्वतन्त्र गावाह बनने की सहमती प्रदान की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवारी श्री मोहम्मद इमरान के मोबाइल से आरोपी श्री हरनारायण कनिष्ठ सहायक नागर परिषद नागौर के मोबाइल पर कॉल करवाया गया तो हरनारायण ने परिवारी के कॉल को रिस्वीव नहीं किया। बार-बार प्रयास किया लेकिन परिवारी के कॉल का श्री हरनारायण ने कोई जवाब नहीं दिया। इस कारण टेप का आयोजन नहीं होने से परिवारी श्री मोहम्मद इमरान व दोनों स्वतन्त्र गावाहन को दिनांक 01.06.2022 को समय 10.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु हिदायत देकर रुखसत किया गया। दिनांक 01.06.2022 को समय 10.00 ए.एम. पर परिवारी श्री मोहम्मद इमरान व गावाहन श्री दिलीप सिंह तकनिकी सहायक व श्री हरिनाम तकनिकी सहायक पूर्वनिर्देशानुसार कार्यालय में उपस्थित आये। जिस पर अमीन टेप काटवाही शुरू की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवारी श्री मोहम्मद इमरान को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने का कहने पर अपनी जेब से भारतीय चलन मुद्रा के दो-दो हजार रुपये के 17 नोट व पांच सौ-पांच सौ रुपये के 02 नोट कुल 35,000/- रुपये श्री हरनारायण गौड़ कनिष्ठ सहायक, नागर परिषद नागौर को बतौर रिश्वत देने हेतु निकाल कर पेश किये,



Amber

कृमिरदन कानि. 194, श्री बालाराम कानि. 554, श्री मांगीलाल कानि. 423, मय सरकारी वाहन हैड कानि. 48, राजेन्द्र झूरिया कानि. 150, नमीचन्द कानि. 405, श्री कानाराम कानि. 532, पिछे-पिछे मय गवाहन श्री दिलीप सिंह व श्री हरिराम, देप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह अपनी मोटर साइकिल से नगर परिषद नगर को खाना कर मन पुलिस निरीक्षक परिव्रादी के पर कोई कॉल नहीं आया। ताबाद वक्त 04.00 पी.एम. पर परिव्रादी श्री मोहम्मद इमरान को हरनारायण बाबू के फोन का इन्तजार किया गया लेकिन उसकी तरफ से परिव्रादी के फोन कोई जवाब नहीं आया तथा ना ही मोबाइल फोन रिस्वीव किया। जिस पर काफी समय तक परिव्रादी ने हरनारायण बाबू के मोबाइल नम्बर पर वार्ता करनी चाही लेकिन उसकी तरफ से इमरान को हिदायत दी गई की आप श्री हरनारायण बाबू के मोबाइल पर वार्ता करें, जिस पर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिव्रादी श्री मोहम्मद किनोपथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फट्टे तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर की विधि समझाकर संपूर्ण किया गया। पृथक से फट्टे पैककरी व संपूर्ण नीट एवं दृष्टान्त होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के वॉयस टेप रिकॉर्डर को ऑनपेस्ट करने एवं बाक्स में रखवाए गये। परिव्रादी श्री मोहम्मद इमरान को वक्त रिखत लेन-देन एवं लवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा देप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त देप दल सदस्यों के हाथ साफ किनोपथलीन पाउडर लगाया है उसे जलवाया जाकर गिलास व श्रीमती संगीता म.कानि. के रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर निकवाया गया तथा कामज जिस पर रखकर नीटों पर का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। किनोपथलीन पाउडर के डिब्बे को दुकान्त अलमारी में दोनों गवाहों व परिव्रादी को सोडियम कार्बोनेट व किनोपथलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया अंगुलियों व अंगूठों को डूबोकर धुलवाया गया तो धोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन धोल में श्रीमती संगीता म.कानि. के दाहिने हाथ की पानी मगवाकर एक घम्मव सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर धोल तैयार करवाया गया तो को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् कार्यालय से एक कांच के गिलास में साफ रहकर परिव्रादी व आरोपी के मध्य होने वाले रिखती लेन-देन व इनके बीच होने वाली वार्ता छुपाता है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिव्रादी के आस-पास भी करें। यह भी ध्यान रखें कि आरोपी रिखत राशि प्राप्त करने के बाद कहाँ रखता है या देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेर कर डंशारा करें तथा मन निरीक्षक पुलिस को मिस कॉल सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिखत राशि प्राप्त कर लेने पर देप दल के सदस्यों को किनोपथलीन पाउडर लगे नीट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा अपने कार्य से छुए जब तक आरोपी रिखत की मांग नहीं करे तथा उसके द्वारा रिखत मांगने पर उक्त रखवाये गये। परिव्रादी श्री मोहम्मद इमरान को बताया गया कि इन नीटों को तब तक नहीं पाउडर लगे 35,000/रुपये परिव्रादी श्री मोहम्मद इमरान के पहनी जींस पैंट की दायी जेब में गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु/राशि नहीं मिली। श्रीमती संगीता म.कानि. से किनोपथलीन लगाया गया। परिव्रादी श्री मोहम्मद इमरान की जामा तलाशी गवाह श्री हरिराम से लिवाई नीटों पर कार्यालय के श्रीमती संगीता म.कानि. 332 से हल्का-हल्का किनोपथलीन पाउडर तत्पश्चात् कार्यालय अलमारी में से किनोपथलीन पाउडर का डिब्बा निकालकर उपर्युक्त सभी

11	दो हजार रुपये का एक नीट	7EC 629210
12	दो हजार रुपये का एक नीट	2LK 287303
13	दो हजार रुपये का एक नीट	6DP 662269
14	दो हजार रुपये का एक नीट	0FN 808549
15	दो हजार रुपये का एक नीट	8AM 334124
16	दो हजार रुपये का एक नीट	4HK 470108
17	दो हजार रुपये का एक नीट	0EM 896462
18	पाँच सौ रुपये का एक नीट	2SF 478588
19	पाँच सौ रुपये का एक नीट	4PE 406180



Amk

परिवादी से लेकर मेरे कर्ता की बायीं ओर से खड़ी थी जो अभी मेरी ओर से ही है, उक्त कथन  
रिखत राशि श्री हरनारायण गौड़ कनिष्ठ सहायक के कहने पर मैंने लिए थे। उक्त राशि मैंने  
कि मोहम्मद इमरान के लॉडजी के नाम नगर परिषद से पट्टा जारी करने की एवज में उक्त  
बताया। श्री गुलामुद्दीन याता से रिखत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने बताया  
जालि मुसलमान उम्र 69 साल निवासी पीपलडुडी बस्ती, अजमेरी गेट के पास, नागौर होना  
उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री गुलामुद्दीन पुत्र हाफीज लाल मोहम्मद  
राशि प्राप्त की है। जिस पर मैंने पुलिस निरीक्षक ने अपना व इमरान हाफीज का परिचय देते हुए,  
व्यक्ति ही गुलामुद्दीन याता (दलाल) है। जिसने अभी-अभी मेरे से 35,000/- रुपये रिखत  
दुकान की तरफ खाना हुआ तो परिवादी ने इशारा कर बताया की उक्त दुकान के अन्दर बैठ  
निरीक्षक, परिवादी व एसीबी स्ट्राफ तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान की लेकर गांधी चौक में रिखत  
में दिया गया डिजिटल वॉर्ड्स रिकार्ड प्राप्त कर बन्द किया गया। तत्पश्चात मैंने पुलिस  
सामने खड़ा होकर फिर पर हाथ फेरकर आपका इशारा कर दिया। जिस पर परिवादी को पूर्व  
अपने पहने हुए कर्ता की बायीं ओर से खड़ी थी। उसके बाद मैंने गांधी चौक रिखत दुकान के  
दाहिनी ओर से रिखत निकालकर गुलामुद्दीन याता को दी, जिसने रिखत राशि निनकर  
संबंध में बातचीत की तथा याता द्वारा रिखत की मांग करने पर मैंने अपनी जीस पेन्ट की  
उनके कहने पर दलाल गुलामुद्दीन याता की गांधी चौक रिखत दुकान पर गया व मेरे काम के  
उसने रिखत राशि दलाल गुलामुद्दीन याता गांधी चौक वाले को देने के लिए कहा तो मैंने  
लेकर और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तथा रिखत के बारे में बातचीत की तो  
बताया कि मैं श्री हरनारायण गौड़ कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद नागौर के पास रिखत राशि  
दुकान के सामने पहुँचा। इस पर परिवादी श्री मोहम्मद इमरान ने मैंने पुलिस निरीक्षक को  
पुलिस निरीक्षक द्वारा दे पटल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास गांधी चौक रिखत  
रिखत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित इशारा अपने फिर पर हाथ फेर कर किया जिस पर मैंने  
पीएमओ पर परिवादी श्री मोहम्मद इमरान ने गांधी चौक में रिखत दुकान के सामने खड़ा होकर  
आस पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे का इन्तजार करने लगे। समय 06.20  
निरीक्षक मय हरनारायण दे पटल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए गांधी चौक के  
सम्पर्क करने हेतु गुलामुद्दीन की दुकान पर रिखत राशि देने हेतु खाना किया तथा मैंने पुलिस  
पर एक साईड में दोनों गद्दों को खड़ा कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर आरपी से  
वापस दे पटल कायदाही हेतु गांधी चौकी रिखत गुलामुद्दीन की दुकान के पास पहुँचे जहाँ सड़क  
दल मय सरकारी गद्दन मय चालक मय दे पटल मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय प्राईवेट गद्दन के  
नागौर को खाना कर मैंने पुलिस निरीक्षक परिवादी के पिछे-पिछे मय स्वतन्त्र गवाहान व दे प  
किया गया। ताबाद परिवादी श्री मोहम्मद इमरान को अपनी मोटर साईकिल से गांधी चौक  
पर ही मुझे दे देना। जिसको भी कार्यालय के डिजिटल वॉर्ड्स रिकार्ड में वार्ता को रिकार्ड  
तो गुलामुद्दीन (दलाल) ने कहा की गांधी चौक रिखत मेरी दुकान पर आ जाना व रुपये वहीं  
पश्चात परिवादी की गुलामुद्दीन (दलाल) से मोबाईल पर लाउडस्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई  
जिसको भी कार्यालय के डिजिटल वॉर्ड्स रिकार्ड में वार्ता को रिकार्ड किया गया। उसके  
तो बनवासी ने गुलामुद्दीन (दलाल) के मोबाईल नम्बर देये तथा बात करने के लिए कहा  
ले जाकर परिवादी की बनवासी यपरासी से मोबाईल पर लाउडस्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई  
श्री बनवासी यपरासी से ले लेना। जिस पर मैंने पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को एकान्त में  
याता/मिस्त्री को दे देना। मेरे द्वारा उनके मोबाईल नम्बर पूछने पर बताया की कार्यालय के  
की मेरी श्री हरनारायण बाबू से बात हुई तो कहा की मैं यह रुपये गांधी चौक वाले  
बिना इशारा किये ही नगर परिषद नागौर के गद्दन के बाहर मैंने पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया  
के पूर्व निर्धारित इशारे का इन्तजार करने लगे। कुछ देर बाद परिवादी रिखत राशि प्राप्ति का  
सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए नगर परिषद नागौर के आस पास खड़े होकर परिवादी  
नागौर के भवन की तरफ खाना किया तथा मैंने पुलिस निरीक्षक मय हरनारायण दे पटल के  
को खड़ा कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर आरपी से सम्पर्क करने हेतु नगर परिषद  
दल के सदस्य नगर परिषद नागौर के पास पहुँचे जहाँ सड़क पर एक साईड में दोनों गद्दों  
में छोड़ा गया। ताबाद मैंने पुलिस निरीक्षक मय गवाहान श्री दिलीप सिंह व श्री हरिणाम, दे प  
कार्यवाही हेतु नगर परिषद नागौर को खाना हुआ। श्रीमती संगीता म.कानि. 332 को कार्यालय  
मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह मय दे पटल मय लेपटॉप, प्रिन्टर व प्राईवेट गद्दन के वापस दे प



22/11/22

गिरास के उक्त रंगहीन धोल में आरोपी श्री गुलामुद्दीन के पहनने हेतु दूसरे कुर्ता की व्यवस्था गिरास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार धोल तैयार किया गया। सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् एक कांच के साफ बैग में बरामद 50,000/- रुपये संहित राशि को कानून की एक चिट में सील बन्द कर के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को कब्जा एसीबी ली गई। आरोपी गुलामुद्दीन के कनवास उपरोक्त सभी नोटों (35,000/- रुपये) को कानून की एक चिट में सील बन्द कर सम्बन्धितों मूर्तिब कद पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट डूबड़े होना पाये गये। गई रिश्वती राशि 35,000/- रुपये को दोनों गवाहों से नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गवाह श्री हरिसम के पास सुरक्षित रखवाई शिष्टियाँ में आधा-आधा जलकर शिष्टियाँ को शिष्ट चिट कर मार्क कमशः LH-1 व LH-2 डूबोकर धुलवाया गया तो धोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिस भी दो साफ कांच की गया। दूसरे गिरास के रंगहीन धोल में श्री गुलामुद्दीन के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को आधा-आधा जलकर शिष्टियाँ को शिष्ट चिट कर मार्क कमशः RH-1 व RH-2 अंकित किया धुलवाया गया तो धोल का रंग गुलाबी हो गया। जिस दो साफ कांच की शिष्टियाँ में उक्त रंगहीन धोल में श्री गुलामुद्दीन के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार धोल तैयार किया गया। एक गिरास के ब्यूरे, नागौर में बूक की गई। तत्पश्चात् कार्यालय हाजा में दो कांच के साफ गिरासों में पानी ब्यूरे, नागौर पहुँचा। आगे की कार्यवाही कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अष्टाचार निरोधक हेतु सुरक्षा की दृष्टि से हमराह लेकर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अष्टाचार निरोधक होने से यहाँ भीड़-भाड़ इकट्ठा हो रही है। अतः श्री गुलामुद्दीन के विरुद्ध अभिम कार्यवाही परिषद नागौर की ओर खाना किया गया। नोट :- गांधी चौक नागौर भीड़-भाड़ वाला स्थान सिंह के आरोपी श्री हरनारायण गौड़ की तलाश कर चिटने हेतु हिदायत देकर नगर डेड कानि0 श्री सुरेन्द्र सिंह मय श्री कुम्हरदान कानि0 मय सरकारी वाहन व चालक श्री सुरेन्द्र अफिस में ही थे, अब वो कहाँ गये हैं मुझे पता नहीं है जिस पर मन पुलिस निरोधक द्वारा दिया गया श्री हरनारायण गौड़ कनिष्ठ सहायक के बारे में पूछा तो बताया कि अभी तो वो पञ्जाबी के संबंध में मोबाइल पर बातचीत करने के लिए कहा तो बात करने से मना कर लिए है। श्री गुलामुद्दीन को श्री हरनारायण गौड़ कनिष्ठ सहायक से इस रिश्वत राशि व मोहम्मद हमरान से पैसे लेने का कहा था जो मैंने अभी-अभी श्री हरनारायण गौड़ को देने हेतु के बारे में पूछा गया तो बताया कि पञ्जाबी श्री हरनारायण गौड़ के पास ही है मुझे तो हरिसम के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री गुलामुद्दीन को परिवारी से संबंधित पञ्जाबी नोट व 500-500 रुपये के 02 नोट कुल 35,000/- रुपये होना बताया। जिस गवाह श्री जिसमें मिले रुपये गवाह श्री हरिसम ने निकालकर गिने तो उसने 2000-2000 रुपये के 17 गये। गवाह श्री हरिसम से श्री गुलामुद्दीन के पहने कुर्ता की बांधी जेब की तलाशी लिवाई गई कलाई के उपर से मेरे निदेश से कमशः कानि0 श्री कानाराम व श्री नैमीचन्द से पकड़वाये कब्जा एसीबी लिये गये। रिश्वत लेने की लाईट होने पर श्री गुलामुद्दीन का दायां व बायां हाथ बारे में पूछा गया तो कोई संतोषपद जवाब नहीं दे पाया जिस पर उक्त कानूनात व रुपये अलग से फट्टे जल्दी तैयार कर शान्ति पञ्जाबी की जायगी तथा 50,000/- रुपये राशि के मुझे दिये हैं, जो संबंधित को देना है, उक्त दस्तावेजों को संहित मानते हुए दस्तावेजों की आरोपी श्री गुलामुद्दीन (दलाल) को पूछा गया तो बताया की हरनारायण बाबू ने यह दस्तावेज पट्टा, भवन निर्माण स्वीकृति, एनओसी, आदि दस्तावेज व 50,000 रुपये मिले, जिनके बारे में जिसका मन पुलिस निरोधक द्वारा अवलोकन किया गया तो नगर परिषद नागौर से संबंधित कनिष्ठ सहायक के पास है। श्री गुलामुद्दीन (दलाल) के कब्जे में एक कनवास बैग मिला पहने कुर्ता की बांधी जेब में रखे हैं। मेरी लाईटों के पट्टे की पञ्जाबी श्री हरनारायण गौड़ गुलामुद्दीन को दी है। मेरे से रिश्वत राशि श्री गुलामुद्दीन ने अपने हाथ में लेकर निनकर अपने नहीं होने पर आज दिनांक 01.06.2022 को मैंने अभी-अभी 35,000/- रुपये रिश्वत राशि श्री श्री जो दिनांक 31.05.2022 को देना तय हुआ था, मगर कल श्री हरनारायण गौड़ से बातचीत नगर परिषद से पट्टा जारी करवाने की एवज में 35,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की हरनारायण गौड़ कनिष्ठ सहायक नगर परिषद नागौर ने मेरी लाईटों जमझीदा बानों के नाम पर परिवारी श्री मोहम्मद हमरान ने स्वतः ही बताया कि दिनांक 30.05.2022 को श्री



[illegible]



नगौर  
अष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
निरीक्षक पुलिस  
(मोहन सिंह)

  
भवदीय,

रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक अनिब्यूरो राज 10 जयपुर की सेवा में प्रेषित है।  
के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नमूने प्रथम सूचना  
व 120बी भा.द.स. का जर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपीगणों  
नगौर (दलाल) का उक्त कृत्य जर्म धारा 7, 7ए अष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018  
लाल मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 69 साल निवासी पीएचडैडी बस्ती, अजमेरी गेट के पास,  
नगौर जिला नगौर हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद, नगौर व श्री गुलामुद्दीन पुत्र हाफीज  
ब्रह्मण उम्र 39 वर्ष निवासी गोपीनाथ मंदिर के पास, चिन्डकावाड़ी, पुलिस थाना कोतवाली  
रिखत राशि प्राप्त किये जाने पर आरोपीगण श्री हरनारायण पुत्र श्री नथमल गौड़, जाति  
श्री हरनारायण गौड़ कनिष्ठ सहायक नगर परिषद नगौर को देने के लिए 35,000/- - रुपये  
(दलाल) को दिलवाना व आरोपी श्री गुलामुद्दीन (दलाल) द्वारा परिवारी से उक्त रिखत राशि  
राशि की मांग कर मांग के अनुरूप 35,000/- - रुपये रिखत राशि आरोपी श्री गुलामुद्दीन  
द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अपने वैध पारिश्रमिक से सिन् 35,000/- - रुपये रिखत  
से पट्टा बनाने की एवज में आरोपी श्री हरनारायण गौड़ कनिष्ठ सहायक नगर परिषद नगौर  
मिलीमत कर परिवारी श्री मोहम्मद इमरान के लार्डी जमशीदा बानों के नगर परिषद नगौर  
69 साल निवासी पीएचडैडी बस्ती, अजमेरी गेट के पास, नगौर (दलाल) द्वारा आपस में  
सहायक नगर परिषद नगौर व श्री गुलामुद्दीन पुत्र हाफीज लाल मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र  
उपरोक्त देय कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण श्री हरनारायण गौड़ कनिष्ठ

समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया।  
नक्शा मौका अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त देय कार्यवाही का  
को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर फट  
दो जी.बी.डी. कानून के लिकाफ में बन्द, माल मालखाना प्रमाणी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48  
लेने देने वाला का मूल मैमोरी कर्ड कपड़े की थैली में शील्ड न्यायालय हेतु व आरोपीगण हेतु  
थैली में शील्ड न्यायालय हेतु व एक जी.बी.डी. आरोपी हेतु कानून के लिकाफ बन्द व रिखती



## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शीट बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मोहन सिंह, पुलिस निरीक्षक, अष्टाचार निरीक्षक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए अष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं आरोपीगण 1. श्री हरनारायण, कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, नागौर एवं 2. श्री गुलामुद्दीन पुत्र हाकीज लाल मोहम्मद, निवासी पीएचडैडी बस्ती, अजमेरी गेट के पास, नागौर (दलाल) के विरुद्ध चालित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 215/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तपशील जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
2.6.22

अष्टाचार निरीक्षक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1902-06 दिनांक 2.6.2022

प्रतिलिपि:-सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विविध न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, अष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-1, जयपुर।

2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अष्टाचार निरीक्षक ब्यूरो, जयपुर।

3. अध्यक्ष, नगर परिषद नागौर, जिला नागौर।

4. उप महानिरीक्षक पुलिस, अष्टाचार निरीक्षक ब्यूरो, अजमेर।

5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अष्टाचार निरीक्षक ब्यूरो, नागौर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
2.6.22

अष्टाचार निरीक्षक ब्यूरो, जयपुर।